

ऑनर कलिंग पर सर्वोच्च न्यायालय का फरमान

चर्चा में क्यों?

मंगलवार (27 मार्च, 2018) को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में दो वयस्कों की शादी पर खाप पंचायतों के किसी भी प्रकार के दखल को गैर-कानूनी करार दे दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला एक एनजीओ शक्तिवाहिनियों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई में सुनाया। एनजीओ ने 2010 में ऑनर कलिंग के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों को सम्मान के लिये अपराधों को रोकने और नयित्तरति करने की मांग की गई थी।

तीन जजों की पीठ का फैसला

- मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मशिरा की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने खाप पंचायतों के संबंध में यह फैसला सुनाया। इस पीठ में जस्टिस एम खानवलिकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड भी शामिल थे।
- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदि अलग-अलग समुदायों से संबंध रखने वाले 2 वयस्क अपनी मर्जी से शादी का नरिणय करते हैं अथवा शादी करते हैं, तो किसी रशितेदार या पंचायत को न तो उन्हें धमकाने और न ही उन पर किसी प्रकार की हसिा करने का कोई अधकिार है।
- खाप पंचायतों के फैसलों को अवैध करार देते हुए न्यायालय ने कहा कि ऑनर कलिंग के संबंध में लॉ कमीशन की सफिरशियों पर वचिर कयिा जा रहा है। अरथात् जब तक इस संबंध में नए कानून नहीं बन जाते हैं, तब तक मौजूदा आधार पर ही काररवाही की जाएगी।
- सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों की रोकथाम और सजा के लयिे एक गाइडलाइन जारी की है। न्यायालय के अनुसार, ये गाइडलाइन तब तक जारी रहेंगी, जब तक नया कानून लागू नहीं हो जाता है।
- वर्तमान समय में ऑनर कलिंग के मामलों में आईपीसी की धारा के तहत, काररवाही की व्यवस्था है।

गैर-जातीय वविाह को सुरक्षा देने संबंधी पक्ष

- इस याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार द्वारा ऑनर कलिंग को रोकने के लयिे न्यायालय से देश के सभी राज्यों के लगभग प्रत्येक ज़िले में एक स्पेशल सेल बनाने के नरिदेश जारी करने को कहा गया है।
- गैर-जातीय वविाह की स्थिति में राज्य सरकारों द्वारा शादीशुदा जोड़े हेतु सुरक्षा व्यवस्था सुनश्चिति की जानी चाहयिे।
- किसी भी तरीके से यदि शादीशुदा जोड़े को धमकी दी जाती है, तो उन्हें इस संबंध में नज़दीकी मैरजि अफसरों को शकियत दर्ज़ करानी चाहयिे, ताकि उनको सही समय पर सुरक्षा प्रदान की जा सके।

प्रर्विशन ऑफ़ कराइम इन द नेम ऑफ़ ऑनर बलि, 2010

(Prevention of Crimes in the Name of 'Honour' and Tradition Bill, 2010)

- इस बलि में किसी दंपती के वविाह को अस्वीकार करने के उद्देश्य से किसी भी समुदाय या गाँव की सभा, जैसे कखिाप पंचायत के आयोजन पर प्रतर्बिध लगाने की बात शामिल है।
- इसमें नववविाहति जोड़ों के बहषिकार पर प्रतर्बिध के साथ-साथ उनकी सामाजकि-आर्थकि सुरक्षा सुनश्चिति करने जैसे पक्षों को भी शामिल कयिा गया है।
- इसके अतरिकित, स्वयं को नरिदोष साबति करने का दायतिव आरोपी का होगा, इसकी भी व्यवस्था की गई है।

बलि का महत्त्व

- अनुच्छेद 19 और 21 के तहत, अभवियक़त की स्वतंत्रता और व्यक़तगित पसंद की स्वतंत्रता का सुदृढीकरण सुनश्चिति करना।
- यह नश्चिति रूप से देश के सामाजकि-आर्थकि वकिस में महिलाओं की समान भागीदारी को सुनश्चिति करना।

क्या होती है खाप पंचायत?

- एक गोत्र या फरि बरिादरी के सभी गोत्र मलिकर खाप पंचायत बनाते हैं। यह पाँच गाँवों की भी हो सकती है और 20-25 गाँवों की भी हो सकती है। जसि क्षेत्र में जो कोई गोत्र अधकि प्रभावशाली होता है, उसी का उस खाप पंचायत में सबसे अधकि दबदबा होता है।
- ऐसा नहीं है कि कम जनसंख्या वाले गोत्र पंचायत का हसिसा नहीं होते हैं, अंतर केवल इतना है कि इनका प्रभाव अपेक्षकृत कम होता है।

- कसिी भी फैसले के समय सभी गाँववालों को पंचायत में आमंत्रित किया जाता है, चाहे वे शामिल हों अथवा न हों। इसके बाद पंचायत द्वारा जो भी फैसला लिया जाता है, वह सर्वसम्मति से लिया गया फैसला मानकर सभी पर लागू होता है।
- ये पारंपरिक पंचायतें होती हैं, स्पष्ट है कि इनमें कसिी प्रकार की कोई कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती है।

खाप पंचायतों का पक्ष

- रोहतक की सर्व खाप पंचायत द्वारा एक हलफनामे में खाप पंचायतों का पक्ष रखते हुए कहा गया था कि "ऑनर कलिगि के मामलों में मुख्य अपराधी खाप प्रतिनिधि नहीं होते हैं बल्कि मामले से संबंधित युगल के करीबी रिश्तेदार अथवा परिवार के लोग ही होते हैं। विशेषकर लड़की पक्ष।
- स्पष्ट रूप से यदि न्यायालय द्वारा खाप पंचायतों के आचरण और भूमिका को वनियमिति करने संबंधी प्रयास किये भी जाते हैं, तो भी उनसे ऑनर कलिगि की घटनाओं पर कोई विशेष असर नहीं पड़ेगा।
- खाप पंचायतों द्वारा, इस फैसले का पुरजोर वरिोध करते हुए इस संबंध में पुनर्वचिार की अपील की गई है। खाप प्रधानों एवं प्रतिनिधियों द्वारा कहा गया है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिये खाप एक बेहद अहम् भूमिका निभाती है।
- खाप पंचायतें अलग-अलग जातियों, धर्मों, पंथों अथवा क्षेत्रों के लोगों द्वारा वविाह किये जाने के वरिद्ध काम नहीं करती हैं, बल्कि यह केवल सगोत्र वविाह के खिलाफ है।
- इतना ही नहीं खाप द्वारा सगोत्र वविाह को गैर-कानूनी घोषित किये जाने के संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा हद्वि वविाह अधनियम, 1955 में आवश्यक संशोधन करने की भी मांग की गई थी, जो पूरण रूप से लोकतांत्रिक कानून है।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/honour-killing-guillotines-liberty-sc>

